

समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक -22(सु0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक -07.07.2014 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर योजना मुख्य बजट -2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष -02-बाढ़ चकवात आदि, लघु शीर्ष -101-अनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष -0010- ब्रजपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान विपत्र कोड-N2245021010010 मद में मो0-450000/- (चार लाख पचास हजार) रुपये मात्र का आवंटन मधेपुरा जिला को प्राप्त हुआ है। उक्त आवंटन को अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज से प्राप्त अधियाचना (पत्रांक 238 दिनांक 19.06.14) के आधार पर संगत विभागीय निदेश एवं वित्तीय प्रावधान के आलोक में निम्नांकित शर्तों के अधीन निम्न विवरणी के अनुसार नामित कार्यालय/पदाधिकारी को उपावंटित किया जाता है :-

क0सं0	उपावंटन पदाधिकारी का पदनाम	पूर्व उपावंटन	वर्तमान उपावंटन	कुल उपावंटित राशि
1.	अंचल अधिकारी , उदाकिशुनगंज	-	450000.00	450000.00
	कुल :-	-	450000.00	450000.00

कुल - मो0 (चार लाख पचास हजार)रु0मात्र

आवंटन की शर्तें

1. उपरोक्त आवंटन वित्त विभाग के झापांक - 2561 [वि0(2)] 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष -2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष -02- बाढ़ चकवात आदि, लघु शीर्ष -101 - अनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष -0010- ब्रजपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान विपत्र कोड - N2245021010010 मांग सं0 - 39 विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. संगत वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत उपावंटित राशि का नियमानुसार व्यय एवं समयोजन करना संबंधित उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

4. उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में राशि का विचलन नहीं किया जाय। अन्यथा इस के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवारी होंगे।
5. उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध करायी जाय।
6. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर स्पष्ट रूप से मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष तथा विपत्र कोड का अंकन करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा उक्त त्रुटिपूर्ण आकड़े के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवारी होंगे।
7. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक -15.03.2015 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

६० -

जिलाधिकारी

मधेपुरा।

ज्ञापांक 211/आ०प्र०, मधेपुरा, दिनांक-..... 16.7.14/2014

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज /कोषागार पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा, अपर सचिव, आपदा प्रबंधन, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

16/7/14
जिलाधिकारी
मधेपुरा।